Ann - I

पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के कियान्वयन के लिये किये गये प्रयास

1. पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा

   (अ) राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए बहुसदस्यीय समुचित प्राधिकारी नियुक्त किये गये है, जिसमें विशिष्ठ शासन सचिव प0क0 को अध्यक्ष एवं महिला संगठन से सम्बन्धित एक विख्यात महिला कार्यकर्ता एवं राज्य के विधि विभाग के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

   (ब) जिला स्तर पर सम्पूर्ण राजस्व जिले के लिए जिला कलक्टर को जिला समुचित ग्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

   (स) उपखण्ड स्तर पर सम्पूर्ण राजस्व उपखण्ड के लिए उपखण्ड अधिकारी को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है

2. उक्त समुचित प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही–

कुल पंजीकरण (सरकारी–145 + निजी 1914)	2059
निरीक्षण	4701
निलंबन / निरस्त	430
सील / सीजर	359
परिवाद न्यायालय में पेश	493
अभियुक्त को दोष सिद्ध (2 जोधपुर, 1 श्रीगंगानगर, 2 धौलपुर, 1 झालावाड एवं 3 कोटा)	9

3. **राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय 4 निरीक्षण दलों का गठन किया गया है।**
4. राज्य समुचित प्राधिकारी की राज्य निरीक्षण दलों द्वारा की गयी कार्यवाही

निरीक्षण	147
सोनोग्राफी मशीनों को सील	87
केंद्रों पर रिकार्ड सीजर	140
पंजीकरण निलबंन	42
पंजीकरण निरस्त	35
केंद्रों के विरूद्व परिवाद न्यायालय में पेश	50

5. राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ बनाने तथा निरीक्षण प्रारूप में एकरूपता लाने के लिये पीआईआर (PCPNDT Inspection Report) की व्यवस्था 01.01.2011 से लागू की गयी है।
6. समुचित प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिये सभी संभाग मुख्यालयों पर संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।
7. www.hamaribeti.nic.in की शुरूआत 17.07.2010 को की गयी। इस वैबसाईट पर आम नागरिक लिंग जांच की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
8. राज्य में 18 डिकॉय ऑपरेशन किये गये हैं।
9. राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल द्वारा 21 चिकित्सकों के पंजीकरण निलम्बित किये गये हैं।
10. जागरूकता अभियान में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये 342 गैर सरकारी संगठनों का चयन किया गया है।
11. 11 अप्रेल 2012 से चार "हमारी बेटी एक्सप्रेस" वाहन प्रारम्भ किये गये हैं जो राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर "बेटी बचाओं अभियान" का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
12. 33 ऐसे विक्रेताओ जिन्होंने राज्य समुचित प्राधिकारी को बिना सूचना दिये राज्य में सोनोग्राफी मशीनें विक्रय की है, उनके विरूद्ध भी 23 परिवाद न्यायालय में पेश किये गये हैं।

13. लिंग जांच में लिप्त चिकित्सकों की सूचना देने वाले व्यक्तियों के लिये "मुखबीर योजना" प्रारम्भ की गयी है जिसमें 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जायेगी। अब तक दो व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।
14. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के पडोसी राज्य यथा गुजरात, मध्यप्रदेश, उतरप्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के अपने प्रतिरूप अधिकारी को क्रॉस बार्डर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन को रोकने हेतु ध्यान आकर्षण के लिए एवं बार्डर डिस्ट्रिकस के समुचित प्राधिकारियों को समुचित निर्देश प्रदान करने हेतु पत्र लिखा गया है।
15. "बेटी बचाओं अभियान" के प्रचार के लिये राज्य सरकार ने श्रीमती कृष्णा पुनिया, जो कि अन्तराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त डिस्कस थ्रो ऐथेलिट हैं, को "ब्रान्ड एम्बेसेडर" नियुक्त किया है।
16. बालिका शिशु की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
17. "विजन–2021" दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। इसके लिये दस्तावेज कमेटी का गठन किया जा चुका है।
18. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में ओ.टी.एस जयपुर, में राज्य में बाल–लिंगानुपात की गिरावट पर चर्चा एवं राज्य स्तरीय भावी कार्ययोजना पर सुझावों के लिए, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया।
19. मुख्य सचिव महोदय् द्वारा घटते बाल–लिंगानुपात विषय पर राजस्थान के समस्त जिला कलक्टर को वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा संबोधित किया गया एवं उन्हें पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया।
20. राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु माननीय न्यायाधिपति दलिप सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में वरिष्ठ जिला प्रशासनिक अधिकारीगण एंव न्यायिक अधिकारियों के साथ संभाग स्तरीय कार्यशाला का जयपुर में आयोजन किया गया है।
21. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर के निर्देशानुसार राज्य के समस्त पंजीकृत केन्द्रों को यह आदेशित किया गया है कि वे अपने केन्द्र पर संरक्षित फार्म एफ का ऑनलाईन सबमिशन करें एवं समस्त पंजीकृत केन्द्र अपनी प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन पर एक्टिव ट्रेकर/साईलेंट आब्जर्वर उपकरण संबद्ध करें।
22. राज्य सरकार द्वारा गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु संभाग स्तर पर सात अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सृजित एवं स्थापित किये गये हैं।
23. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई) का गठन किया जाकर पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994, के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा विभाग में 120 अतिरिक्त पद सृजित किये गये है।
24. माननीय मुख्यमंत्री महोदय् राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को समाज में बेटी की गरिमा को बढाये जाने एवं इस दिशा में सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के लिए उनकी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु पत्र लिखा गया है।
25. राज्य सरकार द्वारा "पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन" के नाम से एक पुलिस स्टेशन की घोषणा की गई है जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य का क्षेत्र होगा।

Anx - 2

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

कमांक–एफ. ( )PCPNDR/HM/CM/Workshop/NGO/2012/ 1204
जयपुर, दिनांक : 31/08/12

प्रिय ,

जैसा कि आपको विदित है कि हमारे राज्य में बालिकाओं की संख्या में निरन्तर कमी दर्ज़ की जा रही है जिससे बाल लिंगानुपात बिगड़ता जा रहा है। राजस्थान में जहां वर्ष 2001 में बाल लिंगानुपात 909 था, वह वर्ष 2011 में 883 रह गया है, जो कि अत्यन्त चिंता का विषय है और यदि इसी प्रकार यह गिरावट जारी रही तो स्वस्थ समाज की कल्पना करना असंभव होगा।

बालिकाओं की संख्या में आयी इस गिरावट के लिये जहां एक ओर समाज में बेटे की चाह जिम्मेदार है, वहीं दूसरी ओर भ्रूण के लिंग निर्धारण में सक्षम तकनीक का दुरुपयोग भी जिम्मेदार है। राज्य सरकार द्वारा इस विषय को प्राथमिकता से लिया गया है एवं बेटी बचाओं अभियान के जरिये लिंग निर्धारण के विरुद्ध एवं समाज में बेटी की महत्वता बताने हेतु जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही लिंग जांच में सक्षम तकनीक के दुरुपयोग को रोकने हेतु पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

बालिकाओं की गिरती संख्या को रोकने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही समाज की भी है, क्योंकि जहां समाज को लड़कियों के प्रति सोच को बदलने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर लिंग जांच की शिकायत सक्षम अधिकारी को दी जाकर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करवाने की है।

समाज को जागरुक बनाने तथा बेटियों को गौरवान्वित करने में जन प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र में प्रभावी भूमिका अदा करते हुए एवं अपने उद्‌बोधनों में भी इस विषय का ज़िक्र अवश्य करें। आपके ऐजेन्डे में इस विषय को भी अवश्य शामिल किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि आपके कोष का कुछ हिस्सा समाज में बेटियों को गौरवान्वित किये जाने की दिशा में खर्च किया जावे क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा एवं रोजगार पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः मेरी आपसे अपील है कि समाज में लिंग निर्धारण की प्रवृत्ति की समस्या के निवारण के लिये हम संकल्प लें। लिंग निर्धारण के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों/चिकित्सकों इत्यादि के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे गैर कानूनी कृत्यों पर कानूनी कार्यवाही हो एवं समाज में इस विषय पर जागरुकता उत्पन्न कर लड़कियों

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करें, ताकि प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को बिगड़ने से रोका जा सके।

शुभकामनाओं सहित, आदर

भवदीय,

(अशोक गहलोत)

समस्त माननीय सरपंचों एवं समस्त माननीय पंचायत समिति के सदस्यों / समस्त प्रधान